

**मिशन अंत्योदयः ग्राम समृद्धि एवं
स्वच्छता पखवाडा
(1-15 अक्टूबर, 2017)**

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता, राज्य और स्थानीय निकायों के साथ संयुक्त पहल

अभियान का उद्देश्य

पंचायती राज संस्थानों को इसमें शामिल करने के लिए:

- समुदाय को स्वच्छ, हरित गांवों के निर्माण में शामिल/ प्रेरित करना
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना
- गांवों में स्थायी आजीविका विकल्पों के लिए योजना बनाना

स्वच्छता पाखवाड़ा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यक्रम / गतिविधियाँ

- सभी ग्राम पंचायतों में सम्पादित की जाने वाली सामान्य गतिविधियाँ
- विशेष गतिविधियाँ :
 - मिशन अंत्योदय के लिए चयनीत ग्राम पंचायतों में की जाने वाली गतिविधियाँ

स्वच्छता पखवाड़ा के चयनीत गतिविधियाँ /कार्यक्रम

- **दिन 1-** ग्राम पंचायत सदस्यों को अभियान के बारे में सूचित करना
- **2 अक्टूबर** गांधी जयंती के उपलक्ष पर ग्राम सभाओं का आयोजन करवाना
 - ग्राम समृद्धि एजेंडा के बारे में चर्चा करना
 - स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका आदि जैसी प्रमुख स्थानीय विकास जैसी चुनौतियों की पहचान करने के लिए वार्ड स्तर की बैठकों को आयोजित करना और तदनुसार ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्राथमिकता देना
 - स्वच्छ , हरित गांव की पहल के बारे में चर्चा करना
- **3 अक्टूबर** को विशेष ग्रामसभा का आयोजन- आगामी वर्ष के लिए MGNREGS कार्ययोजना को तैयार करना
- **15 अक्टूबर** तक अन्य गतिविधियों का आयोजन करना

गतिविधियाँ /कार्यक्रम-Swachata Pakhwada

स्वच्छ हरे भरे गांवों के विकास के लिए साफ़ - सफाई के सभी पहलुओं को आच्छादित करना:

- शौचालयों का उपयोग करें
- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन
- अभियान के दौरान सोक पिट निर्माण करना
- गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को कम्पोस्ट खाद और रीसाइक्लिंग के माध्यम से आय स्रोत के रूप में विकशित करना ।
- जल संरक्षण पर जोर देना
- गांवों को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए शपथ लेना
- कचरा डंपिंग के लिए जगह चयनित करना
- सड़क के किनारे से कचरा हटाना

गतिविधियाँ /कार्यक्रम- Swachata Pakhwada

अन्य विशिष्ट गतिविधियां

- एसएचजी बैठकों और ग्राम सभाओं में एसएचजी सदस्यों की भागीदारी
- ग्राम सभाओं और विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं एसएचजी की भागीदारी
- कौशल विकास / स्व रोजगार के लिए पंजीकरण
- रोजगार मेलों का आयोजन
- RSRTI द्वारा प्रशिक्षित / स्वयं सहायता समूह के माइक्रो क्रेडिट योजनाओं के निर्माण के पश्चात वित्तपोषित हेतु बैंक ऋण / साख कैंप आयोजित करना ।
- MKSP के तहत शामिल पंचायतों में उत्पादक समूह और उत्पादक कंपनियों के गठन की संभावनाएं तलाशना
- PMAYG अंतर्गत निर्मित नए घरों का ग्राहप्रवासीस कार्यक्रम करवाना
- PMAYG हेतु चयनीत आवासों का भूमिपूजन करवाना
- आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला एसएचजी के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण का मूल्यांकन करना ।
- क्लस्टर की जल संरक्षण स्थिति को समझना

गतिविधियाँ /कार्यक्रम- Swachata Pakhwada

जनता एमआईएस द्वारा लाभार्थी की जानकारी प्रदान करना

- सभी सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जनता को सूचना प्रदान करना
- जन सेवा केंद्र / ग्राम पंचायत के माध्यम से समस्त महत्वपूर्ण जानकारी पोस्टर / फ्लेक्स / एल्यूमीनियम बोर्ड आदि के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करना ।
- सभी कार्यक्रमों / कार्यों, लाभार्थी परख योजनाओं से सम्बंधित सूचनाओं के प्रकटन के लिए पंचायत भवन पर अभिलाखुप्लाब्ध करना ।
- ग्राम पंचायत में PMAYG, NSAP आदि के पात्र लाभार्थियों के नामों को पढ़ना और सूची को ग्राम पंचायत की दिवार पर प्रदर्शित करना।

गतिविधियाँ /कार्यक्रम- स्वच्छता पखवाडा

जनता एमआईएस-गांव विकास योजना की जानकारी

- ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को प्रदर्शित करना
- आय और व्यय पर जानकारी प्रदर्शित करना
- 14 वीएफसी / एसएफसी और अन्य कार्यक्रमों के जरिए किए गए कार्यों की सूची प्रदर्शित करना
- MGNREGA अंतर्गत किए गए कार्यों की सूची का प्रदर्शन करना

नागरिक केंद्रित एप्लिकेशन को विकसित किया जा रहा है

मिशन अंत्योदय-बेस लाइन सर्वेक्षण

- मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों के माध्यम से घरेलू सर्वेक्षण करवाना
 - पूर्व प्रकाशित SECC डाटा के साथ आधारभूत संरचना, मानव विकास और आर्थिक कल्याण आदि मापदंडों के आधार पर सर्वेक्षण करना
 - पखवाड़े के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करना
 - ग्रामीण क्लस्टर की विकास क्षमता को पहचानने में मदद करें
 - तकनीकी-संस्थाओ भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करना।
 - 50,000 ग्राम पंचायतों / 5000 ग्रामीण समूहों की रैंकिंग तैयार रहना।

राज्यों और अन्य विभागों की भूमिका

- भाग लेने वाले विभिन्न विभागों , स्वयं सहायता समूह , पंचायतो ,स्थानीय निकायों , मंगल दलों आदि के लिए राज्यों की अपेक्षा के अनुसार अभियान के लिए एक विस्तृत एजेंडा तैयार करना
- अभियान के दौरान समादित किए जाने वाले गतिविधियों का एक दिनवार कैलेंडर बनाना
- रेडियो / टीवी / प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना
- अभियान के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सूचित करना और उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना
- माननीय सांसदों के साथ मिलकर सभी SAGY गांवों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाना जैसे :-
 - प्रभात फेरिस
 - छात्रों को स्वच्छता दूतों के रूप में शामिल करना
 - गांव के विकास की प्रगति में युवाओं को शामिल करना
 - शाम के समय खेल / सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना
 - विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर फिल्म शो दिखाना

समन्वय

- विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
- समन्वय और निगरानी के लिए राज्य / जिला /ब्लॉक/ मिशन अन्तोदय क्लस्टर/न्याय पंचायत स्तर पर राज्य द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करना ।
- राज्यों द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओ के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना

प्रलेखन

- साधारण रिपोर्टिंग फ़ॉर्म के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक कार्यों को इकट्ठा और संकलित करना ।
- अभियान का एक रिपोर्ट कार्ड अंत में तैयार किया जाएगा
- राज्यों को मंत्रालयों द्वारा प्रारूप उपलब्ध कराए जाएंगे।

पुरस्कार

- अभियान के अंत में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ मैट्रिक्स विकसित करना
- पुरस्कार कुछ विशेष बिन्दुओं पर आधारित होंगे जैसे समग्र स्वच्छता और स्वच्छ और हरे भरे गाँव की पहल करने वाली ग्राम पंचायतें ।
- परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 14TH FC और मनरेगा फंड के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की निर्माण श्रेणी का पुरस्कार।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के जीवन में सुधार "सरकार के लिए प्रमुख एजेंडा है, जिसके लिए जवाबदेही, परिणामों और अभिसरण की आवश्यकता है।

धन्यवाद